IRCON/SECY/STEX/124 17th August, 2022

BSE Limited Listing Dept./ Dept. of Corporate Services Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai – 400001 **बीएसई लिमिटेड** लिस्टिंग विभाग / कॉर्पोरेट सेवा विभाग पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट मुंबई– 400001 Scrip code / ID: **541956 / IRCON**	**National Stock Exchange of India Limited** Listing Department Exchange Plaza, Plot no. C/I, G Block Bandra –Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai – 400051 **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड** लिस्टिंग विभाग एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं सी / आई, जी ब्लॉक बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई-400051 Scrip Code: **IRCON**

Sub: Newspaper publication regarding 46th Annual General Meeting/ 46वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में समाचार पत्र प्रकाशन

Dear Sir/ Madam, महोदय / महोदया,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) circular No.20/2020 dated 5th May, 2020, please find enclosed herewith Public Notice published in newspaper (in English and Hindi) on 17th August, 2022 intimating that the 46th Annual General Meeting of the Company will be held on Friday, 16th September, 2022 at 12:30 P.M. (IST), through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means.

Please take note of the above information on record.

सेबी (सूचिबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 के अनुपालन में, 17 अगस्त, 2022 को समाचार पत्र (अंग्रेजी और हिंदी में) में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना जिसमें बताया गया है कि कंपनी की 46वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन शुक्रवार, 16 सितंबर, 2022 को दोपहर 12:30 बजे (आईएसटी), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों के माध्यम से होगा, आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए संलग्न हैं।

कृपया उपरोक्त जानकारी को रिकॉर्ड पर लें।

धन्यवाद,

भवदीया,
कृते इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
रितु अरोड़ा
17.08.2022
(रितु अरोड़ा)
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता क्र.: FCS 5270

IRCON INTERNATIONAL LIMITED CIN:L45203DL1976GOI008171

Panel wants strict beneficiation norms for miners

SURYA SARATHI RAY
New Delhi, August 16

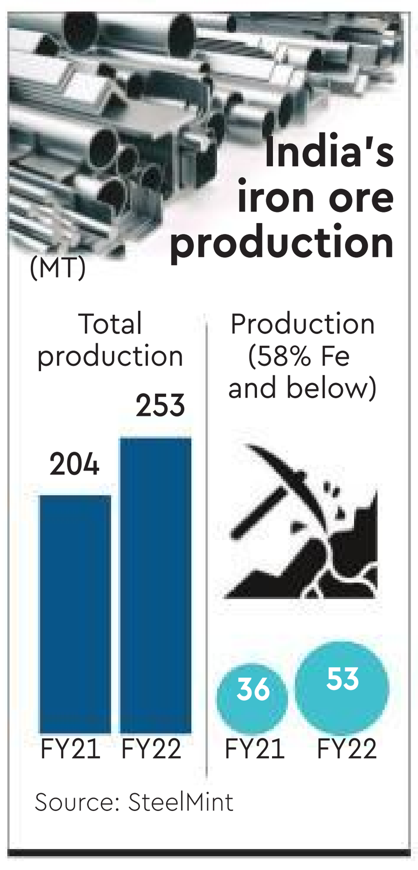

AN IRON ORE miner will have to upgrade through beneficiation 80% of the low-grade ore produced in a mine annually or face penalty including termination of the lease, if the mines ministry accepts recommendations of an inter-departmental committee.

If the recommendation is finally endorsed by the government, it will impact both merchant and captive miners, including Rungta Mines, Vedanta, Serajuddin & company, JSPL, JSW Steel, as they will have to either put up new beneficiation units or expand capacity of the existing units, according to industry sources. While putting up capital-incentive infrastructure is itself an onerous task, the miners will also have to acquire land for putting up the unit which is again a big task.

The government had constituted the panel to suggest ways to ensure better utilisation of low and lean grade iron ore resources in the country. Typically, about 20% of the produce during mining turns out to be low-grade iron ore, having less than 58% iron content; the rest contains 62% or more. India produced 253 million tonnes (MT) iron ore last fiscal. The domestic steel industry does not use low-grade ore for lack of available technology. It uses higher-grade (62%Fe or above) in the blast furnace or pellets produced through beneficiation of low-grade ore in the iron-making. The remaining low-grade ore is generally exported.

As per the committee's recommendations, which the mines ministry has put up in its website for consultation with industry, 80% of the ore having less than 58% Fe content produced annually in a mine will have to be beneficiated for 62% or more iron content. "In case of shortfall in beneficiating the 80% of low-grade iron ore of below 58% Fe, which shall be assessed on a quarterly basis, the lessee shall pay to the state government, an amount of royalty and premium as applicable to the iron ore lumps or fines of 62-65% grade, as the case may be, on the difference between the minimum quantity of mineral to be beneficiated in the said quarter and the quantity actually beneficiated," the committee recommended. On top of it, the committed suggested that the state government may terminate such lease where the lessee does not maintain the minimum quantity of ore to be beneficiated for two successive years and fails to pay the amount payable on such shortfall after two years. The state, however, will have to give the lessee a reasonable opportunity of being heard.

The committee, however, does not make it mandatory for each miner to set up beneficiation unit. A miner can transfer the produce to a neighbouring mine, which has the facility, to do the beneficiation job.

POST-COVID TREND

MSMEs in construction, food sectors fuel credit rise

MIHIR MISHRA
New Delhi, August 16

AMONG MICRO, SMALL and medium enterprises (MSMEs), those involved in food products and construction materials, as well as the ones involved in investments in technology are driving the post-Covid credit growth in the sector.

Companies that lend to MSMEs say e-commerce was strong even during the pandemic, and retail and food services picked up about a year back.

"Companies that have seen an increase in borrowing in terms of percentage of total disbursal include food products, which has seen an uptick in borrowing from around 14% in FY19 and FY20 to nearly 20 per cent in FY21 and FY22. During the same period, the construction materials industry has shown increased credit demand, going from around 4% of the pie to over 7%," said Hardika Shah, founder & CEO, Kinara Capital, in an email reply.

LENDING TO E-COMMERCE STRONG

- Companies that lend to MSMEs say e-commerce was strong even during Covid, and retail and food services picked up about a year back
- The MSME sector was one of the worst hit during the pandemic and the resultant lockdowns

The MSME sector was one of the worst hit during the pandemic and the resultant lockdowns led to loss of business.

"We have seen a strong pickup in demand for credit over the past 12 months across these categories. In terms of gradation, while e-commerce continued to be strong through the course of pandemic, retail and food services sectors picked up about 12 months back, and travel has seen a strong revival over the past 6-9 months," Alok Mittal, managing director, Indifi Technologies Pvt Ltd, said in an email response.

The State Bank of India's (SBI) Ecowrap report released in July also echoed the aforementioned trend and said that incremental credit to the MSME sector has been on an upswing.

"Around 74% of such is purely because of the credit guarantee scheme, and the remaining 26% is because of other schemes including the definitional change in the MSME sector. In terms of overall credit growth, the ECLG scheme has contributed 15% of the expansion," read the report.

The Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) was unveiled as part of the comprehensive package announced by the government in March 2020 to aid the MSME sector in view of the economic distress caused by the Covid-19 pandemic.

According to the Ecowrap report, around ₹2.36 trillion has been disbursed to MSMEs under the ECLGS.

However, it is not just Covid; the sector is also suffering from delayed payments. Data from Bengaluru-based non-profit mass entrepreneurship facilitator Global Alliance for Mass Entrepreneurship (GAME), data analytics company Dun & Bradstreet, and Omidyar Network show that delayed payments to the MSME sector have increased to ₹10.7 trillion till the end of 2021 calendar year.

IIT-D launches lab for offering civic solutions

ANVITII RAI
New Delhi, August 16

THE INDIAN INSTITUTE of Technology-Delhi's (IIT-D's) Foundation for Innovation and Technology (FITT) on Tuesday launched its Public Systems Lab (PSL) to develop scalable solutions for civic systems and services that impact millions, in collaboration with the United Nations World Food Programme (UNWFP).

The PSL will help public systems enhance performance and thereby ensure fundamental levels of well-being for communities these systems serve, by harnessing data science, smart manufacturing, economics, and research in all relevant branches of knowledge. Inaugurating the lab, Union minister for commerce and industry Piyush Goyal said, "This lab can be an absolute game changer and what better day to launch this lab in IIT-Delhi than the first day when the nation enters the Amrit Kal?"

The lab is expected to function as an entity collaborating with governments, the private sector, and multilateral organisations to develop sustainable solutions in domains such as food, public transportation and health.

FEDBANK FINANCIAL SERVICES LTD. AUCTION NOTICE

This is to inform the public at large, that FEDBANK FINANCIAL SERVICES LTD., has decided to conduct Auction of Gold ornaments belonging to accounts (mentioned below) which have become overdue or which have defaults or margin breach customers. The Auction would be held at respective Branches specified below on **Saturday 27-08-2022 between 10.00 a.m. to 12.00 p.m.** This would continue till the auction process is over.

Ludhiana Baba Than Singh 0161-46503664 **FEDGL0381**0000419, 0000425, 0001031, 0000478 **Ludhiana Haibowal** 0161 - 5090206 **FEDGL0385**0001099, 0000945, 0001100, 0001007 **Patiala - Leela Bhawan** 0175-5188001 **FEDGL0362**0000831, 0001132 **Zirakpur** 01762511883 **FEDGL0382**0000548, 0001008, 0001375, 0000927

Change in Venue or Date, if any will be displayed on our Website www.fedfina.com. All bidders participating will be intimated subsequently with respect to acceptance or rejection of bids submitted by them. Customer who want to release their ornaments shall visit at the base branch wherein the ornaments were pledged by the customer or contact at the number mentioned above on/or before 26-08-2022 subject to the terms and condition applicable.

Auction will be conducted at respective branches, in case the auction does not get completed on the given date due to any reasons, the auction in respect thereto shall be conducted on subsequent working days at district level branch after displaying the details on our Website. No further communication shall be issued in this regard.

Dated : 17-08-2022
Place : Punjab
For, sdl- Authorised Signatory
Fedbank Financial Services Ltd.,

IRCON INTERNATIONAL LTD.
(A Govt. of India Undertaking)
Regd. office: C-4, District Centre, Saket, New Delhi-110017, INDIA
Tel. No.: +91-11-26530266, Fax: +91-11-26854000
Web: www.ircon.org, E-mail: investors@ircon.org, CIN-L45203DL1976GOI008171

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS FOR 46TH ANNUAL GENERAL MEETING

1. Notice is hereby given that the 46th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Friday, the 16th September, 2022 at 12:30 P.M.(IST) through Video Conference ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM")**, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with General Circular dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020, 15th June, 2020, 28th September, 2020, 31st December, 2020, 13th January, 2021, 23rd June, 2021, 8th December, 2021 and 5th May, 2022, respectively, and other circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") ("collectively called Circular") and SEBI Circular dated 12th May, 2020, 15th January, 2021 and 13th May, 2022 to transact the businesses set forth in the Notice of the Meeting.
2. In compliance with the Circular, Notice of the AGM along with the Annual Report 2021-22 is being sent only through electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report will also be available on the Company's website in the Investors section at www.ircon.org and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively by 23rd August, 2022. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only.
3. **Manner of registering/ updating email addresses:**

(a) Members who have not registered their e-mail addresses are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Alankit Assignments Limited, 208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 or by mail to rta@alankit.com.

(b) Shareholders who have not registered their e-mail address with the depositories participants may procure user id and password in the manner as set out below:
(i) In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by e-mail to rta@alankit.com.
(ii) In case of shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to rta@alankit.com. If you are an Individual shareholders holding securities in demat mode, please refer to the login method explained in the notice of AGM.

(c) Alternatively shareholder/members may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.

4. **Manner of casting vote(s) through Remote e-voting/ e-voting at AGM:**

(a) The Company is providing to its members, facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ("remote e-voting) provided by National Securities Depository Limited **("NSDL")**. Individual members holding securities in Demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Members are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-voting facility.

(b) The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and only those Members, who are present in the AGM and have not cast their vote on the resolution through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, will be eligible to vote during the AGM.

(c) The detailed procedure for e-voting before as well as during the AGM will be provided in the notice of AGM.

5. **Manner of registering mandate for receiving dividend:**

(a) Payment of dividend shall be made through electronic mode to the Shareholders who have updated their bank account details. Dividend warrants / demand drafts will be dispatched to the registered address of the shareholders who have not updated their bank account details.

(b) For payment of dividend electronically, Members who have not opted for Electronic Clearing System (ECS) facility earlier are requested to fill up ECS Mandate Form and submit it directly to their Depository Participants (DP) to avail the ECS facility. Those holding shares in physical form may send the ECS Mandate Form to Alankit Assignments Limited **("Alankit" or "RTA")**. The shareholders who hold shares in Physical form and who do not wish to opt for ECS facility may please e-mail their bankers' name, branch address and account number to Alankit to enable them to print these details on the dividend warrants.

6. **Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular instructions for register/ update email ID, joining AGM, manner of casting vote through remote e-voting or voting at the AGM and Dividend related information.**

For Ircon International Limited
Sd/-
Ritu Arora
Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi
Date: 16th August, 2022

BAJAJ
Bajaj Electricals Ltd.
Inspiring Trust

Q1 CONSUMER PRODUCTS REVENUE UP	Q1 CONSUMER PRODUCTS EBIT UP	CASH FROM OPERATIONS
58%	874%	₹165 CRORES

EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2022
(₹ in lakhs except per share data)

SR. NO.	PARTICULARS	QUARTER ENDED			YEAR ENDED
		30-June-22 (Unaudited)	31-Mar-22 (Audited)	30-Jun-21 (Unaudited)	31-Mar-22 (Audited)
1.	Total income from operations	1,22,912	1,33,432	85,685	4,81,301
2.	Profit / (Loss) before tax, after exceptional items	5,670	5,213	(3,141)	16,629
3.	Profit / (Loss) after tax	4,119	3,867	(2,497)	12,441
4.	Total Comprehensive Income for the period	4,079	4,119	(2,460)	13,011
5.	Equity Share Capital				2,297
6.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)				1,70,049
7.	Networth				1,72,083
8.	Earnings per share after exceptional items (not annualised) (Face value of Rs. 2/-)				
	Basic :	3.59	3.37	(2.18)	10.85
	Diluted :	3.57	3.36	(2.18)	10.81

The above information has been extracted from the detailed consolidated unaudited financial results for the quarter ended 30th June 2022, which have been reviewed by the Audit Committee, approved by the Board of Directors and filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said financial results are available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.bajajelectricals.com.

By Order of the Board of Directors
for Bajaj Electricals Ltd.

Place: Mumbai
Date: 12th August, 2022

Shekhar Bajaj
Chairman & Managing Director

CIN: L31500MH1938PLC009887 | Registered Office: 45/47, Veer Nariman Road, Mumbai-400 001
Tel. 022-61497000 | Website: http://www.bajajelectricals.com | Email: legal@bajajelectricals.com

With fond memory of

Shri. Rakesh Jhunjhunwala
(5th July 1960 – 14th August 2022)

Star Health Insurance family members

STAR Health Insurance
Personal & Caring
The Health Insurance Specialist
IRDAI Regn NO.129

सास–बहू की चाकू घोंपकर हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 अगस्त।

वेलकम थाना क्षेत्र में सास और बहू की चाकू से हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त दोनों महिलाएं ही घर पर अकेली थीं। इनकी पहचान विमला देवी (75) और उनकी बहू डाली राय (48) के तौर पर की गई है। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है लेकिन फिलहाल उसकी पहचान उजागर नहीं की है।

घटना की जानकारी मंगलवार सुबह करीब चार बजे पुलिस को तब मिली जब डाली के दो बेटे शशांक और सार्थक मसूरी से घूमकर घर पहुंचे थे। घर अंदर से बंद था। संभावना है कि महिलाओं का कत्ल रविवार को हुआ है, क्योंकि शवों से हल्की दुर्गंध भी आ रही थी। पुलिस किसी करीबी पर शक जता रही है। जिला पुलिस उपायुक्त संजय कुमार सैन ने बताया कि वेलकम थाना पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेजा गया है। पुलिस को डाली के बेटे शशांक ने बताया कि रक्षाबंधन और 15 अगस्त के बीच कई दिनों की छुट्टी थी। इस वजह से वह 12 अगस्त को अपने भाई सार्थक और दोस्तों के साथ मसूरी–ऋषिकेष घूमने के लिए गया था। घर पर उनकी मां डाली और दादी विमला और एक विदेशी नस्ल का कुत्ता था।

बेटे से रविवार को हुई आखिरी बार बात

रविवार को सार्थक ने अपनी मां से बात अंतिम बार बात की थी। उसके बाद दोबारा बात नहीं हो पाई थी। फोन नहीं लगने को दोनों भाईयों ने गंभीरता से नहीं लिया। शशांक ने बताया कि मंगलवार तड़के करीब 3.30 बजे दोनों भाई घर पहुंचे तो दरवाजा बंद था। काफी खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो शशांक ने सार्थक को मुख्य दरवाजे की दूसरी चाभी लेने के लिए रिश्तेदार के यहां भेजा। करीब 30 मिनट बाद चाभी लेकर आए, जिसके बाद मुख्य दरवाजा को खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नजारा देखते ही दोनों भाईयों के होश उड़ गए।

पूजा सामग्री का है कारोबार

विमला देवी अपने परिवार के साथ गली नंबर–12, सुभाष पार्क, वेलकम में रहती थीं। उनके बेटे आलोक राय की कुछ दिनों पहले ही बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी। अब परिवार में बहू डाली और उनके दो बेटे शशांक (27) और सार्थक (24) हैं। इनका पहले रसायन (केमिकल) का कारोबार था। लेकिन अब परिवार खारी बावली में पूजा सामग्री बेचने का कारोबार करता है। परिवार का तीन मंजिला मकान है। भूतल पर बहू डाली रहती थीं। पहली मंजिल पर विमला रहती थीं। वह चल नहीं पाती थीं। दूसरी और तीसरी मंजिल पर पूजा सामग्री रखते थे और उसकी पैकिंग भी की जाती थी।

घर का सामान बिखरा पड़ा था

घर के अंदर भूतल पर सोफे पर डाली खून से लथपथ पड़ी थीं। उनके पेट पर चाकू से वार किए गए थे। शरीर से दुर्गंध भी आने लगी थी। वहीं विमला पहली मंजिल पर पड़ी हुई थीं। घर का सारा सामान बिखरा था और अलमारियां टूटी थीं। घर में रखी नकदी और आभूषण गायब थे। इसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को सुबह करीब 4:30 बजे दी गई। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस के अलावा एफएसएल और क्राइम की टीम मौके पर पहुंची और मौके से साक्ष्य जुटाए।

शशांक ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले लोगों ने उन्हें जानकारी दी कि तीन दिनों से सहायिका काम करने के लिए नहीं आई है। इस वजह से परिवार के लोग सहायिका पर भी आशंका जता रहे हैं। वहीं, पुलिस का कहना है कि कुछ संदिग्धों की पहचान की गई है। उनका पालतु कुत्ता एक कमरे में बंद था।

तिरंगों का सम्मानजनक तरीके से निपटान करने के लिए उपराज्यपाल ने निर्देश दिए

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 अगस्त।

हर घर तिरंगा जश्न मनाने के बाद अब तिरंगों का सम्मानजनक तरीके से निपटान करने की चिंता सरकारें कर रही हैं। दिल्ली में उपराज्यपाल ने तो इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं दिल्ली नगर निगम और एनडीएमसी की ओर से भी कुछ तिरंगों के संकलन के लिए केंद्र बनाए गए हैं।

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मंगलवार को आम जनता से राष्ट्रध्वजों के सम्मानजनक तरीकों से निपटान की अपील की और इसके लिए नगर निकायों द्वारा स्थापित संग्रह केंद्रों का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया। ज्ञात हो कि भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर ''हर घर तिरंगा'' अभियान के तहत लोगों ने 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराया। संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार 12 अगस्त तक 20 करोड़ से अधिक तिरंगे आम लोगों के लिए उपलब्ध कराए गए थे। दिल्ली सरकार ने कहा कि उसने शहर में 25 लाख बच्चों के बीच राष्ट्रध्वज बांटे थे। उपराज्यपाल ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली ने शहर को तिरंगे के रंग में रंगकर देशभक्ति के जज्बे की मिसाल पेश की। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि तिरंगे का सम्मान करें और सम्मान के साथ इसका निपटान करें। इस सिलसिले में निगम व एनडीएमसी ने संग्रह केंद्र स्थापित किए हैं। आपसे अनुरोध है कि उनसे संपर्क करें और उनका उपयोग करें।

उधर दिल्ली नगर निगम और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्लूए) इस्तेमाल हो चुके तिरंगों को एकत्र कर ध्वज संहिता के तहत उनके निपटान के लिए कमर कस चुके हैं।

पंजाब नैशनल बैंक — punjab national bank

.......भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

सर्किल सस्त्र सेंटर, पूर्वी दिल्ली, पॉकेट–ई, मयूर विहार फेज–II, दिल्ली–110091,
ई–मेल : cs8075@pnb.co.in दूरभाष : 011–22779758, 22785289

परिशिष्ट–IV, (नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत पंजाब नैशनल बैंक, सर्किल सस्त्र सेंटर, पूर्वी दिल्ली, सीएससी, प्रथम तल, पॉकेट–ई, मयूर विहार फेज–क्क दिल्ली का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में (1) श्री योगेश सरीन (कर्जदार), 14/27, ईस्ट पटेल नगर, दिल्ली–110008, (2) श्रीमती कुमकुम (सह–कर्जदार तथा बंधककर्ता), 14/27, ईस्ट पटेल नगर, दिल्ली–110008 से कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित 31.03.2021 तक राशि रु. 1517844.00/– (रुपये पन्द्रह लाख सत्रह हजार आठ सौ चौवालीस मात्र) तथा 01.04.2021 से भावी ब्याज, व्यय एवं अन्य प्रभारों आदि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत 05.04.2021 को एक माँग सूचना जारी की थी।

कर्जदार/जमानती के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों/जमानतियों को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर 12 अगस्त, 2022 को कब्जा कर लिया है।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के विषय में कर्जदारों/जमानतियों/गिरवीकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्तियों से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार 31.03.2021 तक राशि रु. 1517844.00/– (रुपये पन्द्रह लाख सत्रह हजार आठ सौ चौवालीस मात्र) तथा डी.आई. रु. 58539.75 (रुपये अट्ठावन हजार पांच सौ उनतालीस एवं पिचहत्तर पैसे मात्र) तथा उस पर भावी ब्याज, व्यय एवं अन्य प्रभारों आदि के लिए पंजाब नैशनल बैंक, सर्किल सस्त्र सेंटर, पूर्वी दिल्ली, सीएससी, प्रथम तल, पॉकेट–ई, मयूर विहार फेज–II, दिल्ली के प्रभार का विषय होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्रीहोल्ड सम्पत्ति सं. 1497/ए, द्वितीय तल (छत के अधिकार सहित), गली नं. 3, वजीर नगर, नई दिल्ली–110003, श्रीमती कुमकुम के नाम से, माप 120 वर्ग गज।

दिनांक : 12.08.2022 स्थान : दिल्ली
अधिकृत प्राधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक

रोजगार के लिए निकली तिरंगा यात्रा को पुलिस ने जंतर मंतर जाने से रोका

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 अगस्त।

राष्ट्रीय रोजगार नीति को लागू करने को लेकर निकाली गई तिरंगा यात्रा को पुलिस ने उत्तर पूर्व दिल्ली के नंदनगरी इलाके से आगे नहीं बढ़ने दिया। इस यात्रा को जंतर मंतर तक ले जाने की तैयारी थी। इसकी अगुआई दिल्ली सरकार के मंत्री और देश की बात फाउंडेशन के संस्थापक गोपाल राय कर रहे थे। इसके बाद देशभर से आए आंदोलनकारियों ने नंदनगरी में ही क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस तिरंगा यात्रा में देशभर के 200 से ज्यादा संगठनों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। कृषि उपज पर एमएसपी गारंटी कानून समेत महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर इस आंदोलन की शुरुआत की गई है। गोपाल राय ने कहा कि देशभर से लोग इस रोजगार आंदोलन में केवल एक ही तमन्ना लेकर शामिल होने के लिए आए हैं। आजादी के 75 साल बाद भी अगर लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं , ऐसे में राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने पर तुरंत ही विचार करने की जरूरत है। देश के तमाम क्षेत्र के बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय रोजगार नीति का प्रारूप तैयार किया है। इस प्रारूप को हम केंद्र सरकार के साथ साझा करना चाहते हैं ताकि इसे संसद में कानूनी रूप से पास किया जा सके।

राष्ट्रीय रोजगार नीति आज के वक्त की मांग है और इसको लागू करके ही बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकता है। उन्होंने बताया कि आज से ही कार्यक्रम स्थल पर देशभर से आए विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि ने राष्ट्रीय रोजगार नीति को बनाने को लेकर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। हम शांतिपूर्वक सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं और यदि फिर भी प्रशासन हमे मौका नहीं देता है तो अगले सात दिनों तक हमारी समिति के सभी आंदोलनकारी क्रमिक अनशन करते रहेंगे।

ये हैं अहम मांगें

केंद्र व राज्य सरकार के सभी खाली पदों की तय समय सीमा में भर्ती की जाए।
सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए।
महंगाई के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोत्तरी की जाए।
देश से ठेकेदारी पर भर्ती व्यवस्था समाप्त करके उसके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जाए व पूरे देश में सामान काम के लिए सामान वेतन लागू किया जाए।

डीयू : दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन की हो सकती है पहल

नई दिल्ली, 16 अगस्त। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) इसी सत्र ही दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन शुरू करने की योजना बना रहा है। अब तक आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान केवल नियमित पाठ्यक्रमों में ही था और पत्राचार पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए यह व्यवस्था लागू नहीं थी। यह प्रस्ताव डीयू की निर्णय करने वाली शीर्ष निकाय कार्यकारी परिषद की गुरुवार को होने वाली बैठक में पेश किया जाएगा। **(जसं)**

पंजाब एण्ड सिंध बैंक — Punjab & Sind Bank

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)
जहाँ सेवा ही जीवन– ध्येय है — Where service is a way of life

शाखा कार्यालय : रेलवे रोड गाजियाबाद

[नियम 8(1)) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के तहत पंजाब एण्ड सिंध बैंक, रेलवे रोड गाजियाबाद शाखा का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे तालिका में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की थी।

कर्जदार/रों द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदारों/जमानतियों और जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लिखित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जमानती एवं जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार नीचे वर्णित राशि तथा उस पर भावी ब्याज, लागतों एवं अन्य व्ययों के लिए के लिए प्रभार का विषय होगा।

खाता/कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि (धारा 13(2) की सूचना में उल्लिखित के अनुसार)	सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि
(1) श्री पुष्पेंद्र कुमार पुत्र दिलावर सिंह (कर्जदार) (2) श्रीमती अनीता पत्नी पुष्पेंद्र कुमार (गारंटर) (3) श्री रामेश्वर दयाल पुत्र कृष्ण पाल सिंह	अचल बंधक संपत्ति का सम्पूर्ण हिस्साः मकान संख्या 95, ब्लॉक डी, क्षेत्रफल 139.45 वर्ग मीटर, शास्त्री नगर, गाजियाबाद यूपी में स्थित; स्वामित्व विलेख के अनुसार विवरणः मूल बिक्री विलेख विधिवत पंजीकृत पुस्तक सं. 1, जिल्द नं. 4958, पृष्ठ 361 से 408, क्रमांक 3381 दिनांक 19.06.2015 के माध्यम से कार्यालय एस.आर. गाजियाबाद, उ.प्र. के साथ। सीमाएंः पूर्वः 30 फीट सड़क उत्तरः मकान संख्या 94 पश्चिमः मकान संख्या 96 दक्षिणः 40 फीट सड़क।	31.03.2022 तक आवास ऋण रु. 66,45,287.32 (रुपये छियासठ लाख पैंतालीस हजार दो सौ सत्तासी और बत्तीस पैसे मात्र) और सीवीआरएचएल रु. 4,22,529.45 (रुपये चार लाख बाईस हजार पांच सौ उनतीस और पैंतालीस पैसे मात्र) तथा आगे की लागत, ब्याज और व्यय आदि।	01.06.2022	11.08.2022

तिथि : 11.08.2022 स्थान : गाजियाबाद
अधिकृत प्राधिकारी (पंजाब एण्ड सिंध बैंक)

मुंडका अग्निकांड : परिजनों को मिलेगी दस लाख की अनुग्रह राशि

नई दिल्ली, 16 अगस्त। दिल्ली सरकार मुंडका अग्निकांड और वफ़ल मेनिया रेस्तरां में आग लगने की घटना में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को 10 लाख रूपए की अनुग्रह सहायता राशि की मंजूरी दी है। ज्ञात हो कि केजरीवाल ने दुर्घटनास्थल का दौरा करते समय प्रत्येक मृतक के परिजन को 10–10 लाख रुपए व घायलों को 50–50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी। घोषणा के बाद तत्काल राहत के रूप में दिल्ली सरकार द्वारा 27 मृतकों के परिजनों को एक–एक लाख रुपये दिए गए थे। **(ब्यूरो)**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया — Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शा.का.: 4/54, सर सोरबजी भवन, डी.बी. गुप्ता रोड, करोलबाग, नई दिल्ली–05

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV [नियम–8(1)] देखें

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, करोलबाग शाखा, नई दिल्ली** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(2) एवं 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **30/05/2022** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः (1) हॉस्पिटेलिटी एजुकेशन सर्विसेज इंटरनेशनल मालिक श्री रोहित भाटिया, पताः** जी ब्लॉक, बिल्डिंग नं.4,5,6 मरीना आरकेड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 **(2) श्री रोहित भाटिया पुत्र श्री के.एल. भाटिया (3) श्रीमती प्रेम लता भाटिया पत्नी श्री के. एल. भाटिया (4) श्रीमती सोनल भाटिया पत्नी श्री रोहित भाटिया, पताः** 10, टॉलस्टॉय मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 एवं **(5) श्री रोहित भाटिया पुत्र श्री के. एल. भाटिया, श्री गौरव भाटिया पुत्र श्री के. एल. भाटिया** कम्पनी में दोनों निदेशक **मैसर्स शिव शक्ति होटल एण्ड रिसॉर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड गारंटर के रूप में,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.3,93,70,621/– (तीन करोड़ तिरानबे लाख सत्तर हजार छः सौ इक्कीस रूपये मात्र) (जो 30.05.2022 को देय मूलधन एवं ब्याज को दर्शाता है) साथ ही 30.05.2022 से अब तक ब्याज एवं अन्य शुल्क के साथ** उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार/गारंटर** बैंक की सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहने के कारण, कर्जदार/गारंटर तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 12 अगस्त 2022** को ले लिया है। **कर्जदार एवं गारंटर** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु.3,93,70,621/– (तीन करोड़ तिरानबे लाख सत्तर हजार छः सौ इक्कीस रूपये मात्र) (जो 30.05.2022 को देय मूलधन एवं ब्याज को दर्शाता है) साथ ही 30.05.2022 से ब्याज एवं अन्य शुल्क के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, करोलबाग शाखा, नई दिल्ली** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप–अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति धारक का नामः मैसर्स शिव शक्ति होटल्स एण्ड रिजॉर्ट्स प्रा. लि., पताः 10 एसिया हाउस, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली–110001.

पता एवं सम्पत्ति का विवरण

औद्योगिक प्लॉट / भूमि क्रमांक एम–2(आई), परिमाप 6767 वर्ग मीटर, मुख्य एनएच–12, शाहजहाँपुर, जिला–अलवर राज्य राजस्थान–301706 पर।

जो घिरा हैः–

पूर्वः आर.बी.एल **पश्चिमः** आरएसईबी 132 केवी जीएसएस
उत्तरः निजी भूमि **दक्षिणः** एनएच–8

तिथिः 12.08.2022 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः नई दिल्ली **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड — IRCON

(भारत सरकार का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालयः सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रर, साकेत, नई दिल्ली-110017, भारत
दूरभाषः +91-11-26530266, फैक्सः +91-11-26854000
वेबसाईटः www.ircon.org, ईमेलः investors@ircon.org, CIN-L45203DL1976GOI008171

46वीं वार्षिक आम बैठक के लिए शेयरधारकों हेतु सूचना

1. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू होने वाले प्रावधानों एवं उसके अधीन बने नियमों और सेबी (सूचीबद्धता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के साथ पठित सामान्य परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 15 जून, 2020, 28 सितम्बर, 2020, 31 दिसम्बर, 2020 13 जनवरी, 2021, 23 जून, 2021, 8 दिसम्बर, 2021 एवं 5 मई, 2022 तथा कॉरपोरेट मामले मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी अन्य परिपत्रों ("सामूहिक रूप से परिपत्र कहा गया है") और सेबी परिपत्र 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021 एवं 13 मई, 2022 के अनुपालन में बैठक की सूचना में निर्धारित कार्यों को पूरा करने के लिए कंपनी की 46वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) **वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी")/अन्य दृश्य श्रवय साधन ("ओएवीएम") के माध्यम से शुक्रवार, 16 सितम्बर, 2022 को दोपहर 12:30 बजे (भा.मा.स.)** आयोजित की जाएगी।
2. परिपत्र के अनुपालन में वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के साथ एजीएम की सूचना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यमा से भेजी जा रही है, जिनके ई–मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(एस) के साथ पंजीकृत है। सदस्य ध्यान दें कि एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org पर "इन्वेस्टर्स" खण्ड में और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी 23 अगस्त, 2022 से उपलब्ध होगा। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं।
3. **ईमेल पतों को पंजीकृत/अद्यतन करने का तरीकाः**
(क) जिन सदस्यों ने अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से और भौतिक रूप से शेयरों के मामले में कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीएस), अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, 208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 पर या मेल rta@alankit.com द्वारा पंजीकृत करें।
(ख) शेयरधारक जिन्होंने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे नीचे दिए गए तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं :
(i) यदि शेयर भौतिक रूप में धारित किए गए हैं तो कृपया ई–मेल rta@alankit.com द्वारा फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन प्रति) प्रदान करें।
(ii) यदि शेयर डीमैट मोड में हैं, तो कृपया डीपीआईडी–सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व प्रमाणित स्कैन प्रति) rta@alankit.com पर प्रदान करें। यदि आप डीमैट विधि में प्रतिभूतियों को रखने वाले एक व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो कृपया एजीएम की सूचना में बताई गई लॉगिन विधि देखें।
(ग) वैकल्पिक रूप से शेयरधारक / सदस्य ये दस्तावेज evoting@nsdl.co.in पर उपलब्ध कराकर ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अनुरोध भेज सकते हैं।
4. **वार्षिक आम बैठक में रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने का तरीकाः**
(क) कंपनी अपने सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("रिमोट ई–वोटिंग") द्वारा एजीएम में पारित होने वाले प्रस्तावों पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। डीमैट विधि में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई–मेल आईडी अपडेट करें।
(ख) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और केवल वे सदस्य, जो एजीएम में मौजूद होंगे तथा जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना वोट नहीं डाला होगा और उन्हें ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया होगा, एजीएम के दौरान मतदान करने के लिए पात्र होंगे।
(ग) एजीएम से पूर्व एवं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराई जायेगी।
5. **लाभांश प्राप्त करने के लिए अधिदेश दर्ज कराने का तरीकाः**
(क) लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट किया है। लाभांश वारंट / डिमांड ड्राफ्ट उन शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट नहीं किया है।
(ख) इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाभांश के भुगतान के लिए, जिन सदस्यों ने पहले इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीएस) सुविधा का विकल्प नहीं चुना है, उनसे ईसीएस मैंडेट फॉर्म भरने और ईसीएस सुविधा का लाभ उठाने के लिए इसे सीधे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) को जमा करने का अनुरोध किया जाता है। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले व्यक्ति ईसीएस मैंडेट फॉर्म को अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड ("अलंकित" या "आरटीए") को भेज सकते हैं। शेयरधारक जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं और जो ईसीएस सुविधा का विकल्प नहीं चुनना चाहते हैं, वे अपने बैंकर का नाम, शाखा का पता और खाता संख्या अलंकित को ई–मेल कर सकते हैं ताकि वे लाभांश वारंट पर इन विवरणों को प्रिंट कर सकें।
6. **सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे एजीएम के नोटिस में दिए गए सभी नोट्स को, विशेष रूप से ईमेल आईडी को रजिस्टर/अपडेट करने, एजीएम में शामिल होने, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम में वोट डालने के तरीके और लाभांश से संबंधित जानकारी के लिए सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।**

कृते **इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड**
हस्ता./–
रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 16 अगस्त, 2022

केनरा बैंक — Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

संपत्तियों की ई–नीलामी
07.09.2022
धराज की अंतिम तिथि : 05.09.2022

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी दिल्ली, दूरभाषः 011.28545099, 9205350991

ई–नीलामी विक्रय सूचना

एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाताओं के पास बंधककृत/प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका आधिपत्य केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत ले लिया गया है, का विक्रय 07.09.2022 को ई–नीलामी के माध्यम से ''जैसी है जहां है'', ''जैसी है जो है'' और ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर किया जाएगा। विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया **मैसर्स कैनबैंक कम्प्यूटर सर्विसेज लि. (मैसर्स कैनबैंक कम्प्यूटर सर्विसेज लि. श्री प्रताप कांजीलाल एवं डी. डी. पखारे 9832952602, 9911293517, 080–23469665, ई–मेलः ccsleauction@gmail.com, नं. 218 जेपी रोयेल प्रथम, संपिगे रोड मालेश्वरम, वेबसाइटः http://indianbankseauction.com)** में उपलब्ध लिंक ''ई–नीलामी'' का संदर्भ ग्रहण करें।

आरक्षित मूल्य की 10% धराज राशि **05.09.2022 को अप. 4.00 बजे तक** अथवा इससे पूर्व निम्न वर्णितानुसार प्राधिकृत अधिकारी के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जानी है अथवा केनरा बैंक के खाते के क्रेडिट में आरटीजीएस/एनईएफटी/निधि अंतरण के माध्यम से जमा करनी होगी।

क्र. सं.	शाखा का नाम	ऋणकर्ता/गारंटरों/बंधककर्ता के नाम एवं पता	चल/अचल संपत्ति के विवरण	कुल देयराशि	क. आरक्षित मूल्य (रु.) ख. धराज (रु.) ग. वृद्धिशील बोली (रु.) घ. विक्रय सूचना की तिथि	खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड
1.	केनरा बैंक, पंजाबी बाग नई दिल्ली	**मैसर्स अनुपम ज्वैलरी एंड डिजाइनिंग** (स्वामिनीः श्रीमती अनुपमा शर्मा) 258, वर्द्धमान मार्किट प्लाजा, भूखंड सं. 11, द्वितीय तल (एम2के), पीतमपुरा, दिल्ली–110034	संपत्ति सं. फ्लैट सं. 358, भूतल, पॉकेट नं. 1, सेक्टर–ए–5, जनता कैटेगरी, नरेला, दिल्ली **193.75 वर्ग फुट**	**रु. 17,44,169.73/– + उसके उपरांत ब्याज 30.06.2022 को**	क. रु. 13,00,000 ख. रु. 1,30,000.00 ग. रु. 10,000/ घ. 07.09.2022	चालू खाता सं. 90113020000110 आईएफएससी कोडः CNRB0019011
2.	केनरा बैंक, पूर्वी पटेल नगर नई दिल्ली	**फजलू रहमान** फ्लैट नं. ए–1, प्रथम तल, ब्लॉक–डी, डीडीए कॉलोनी, न्यू जाफराबाद, रेजिडेंशियल स्कीम इलाका शाहदरा, दिल्ली–110032	फ्लैट नं. ए–1, प्रथम तल, ब्लॉक–डी, डीडीए कॉलोनी, न्यू जाफराबाद, रेजिडेंशियल स्कीम इलाका शाहदरा, दिल्ली–110032 **70.00 वर्ग मीटर**	**रु. 31,62,273.83/– + उसके उपरांत ब्याज 31.03.2022 को**	क. रु. 45,00,000.00 ख. रु. 4,50,000.00 ग. रु. 10,000/ घ. 07.09.2022	चालू खाता सं. 8312295000001 आईएफएससी कोडः CNRB0008312
3.	केनरा बैंक, पूर्वी पटेल नगर नई दिल्ली	**श्रीमती भारती पत्नी सुरिंदर कुमार** मकान सं. 1822/41, प्रथम एवं द्वितीय तल, त्रि नगर, जोर बाग, दिल्ली–110035	संपत्ति जो भूखंड सं. 1822, प्रथम एवं द्वितीय तल, (छताधिकारों के साथ), गली सं. 41, जोर बाग, त्रि नगर, नई दिल्ली **2241 वर्ग फुट**	**रु. 61,72,351.40/– + उसके उपरांत ब्याज 31.12.2021 को**	क. रु. 70,50,000.00 ख. रु. 7,05,000.00 ग. रु. 10,000/ घ. 07.09.2022	चालू खाता सं. 8312295000001 आईएफएससी कोडः CNRB0008312
4.	केनरा बैंक, पूर्वी पटेल नगर नई दिल्ली	**संजीव गोस्वामी पुत्र जी.आर. गोस्वामी** बी–9, अजनारा, यूजी–4 डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन–।। साहिबाबाद, गाजियाबाद	पीछे की ओर एफएफ, एमआईजी, एफ–3, बी–1/154, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन नं. ।।, ग्राम भोपुरा, गाजियाबाद **55.74 वर्ग मीटर**	**रु. 39,40,498.70/– + उसके उपरांत ब्याज 31.03.2021 को**	क. रु. 19,00,000.00 ख. रु. 1,90,000.00 ग. रु. 10,000/ घ. 07.09.2022	चालू खाता सं. 8312295000001 आईएफएससी कोडः CNRB0008312
5.	केनरा बैंक, पूर्वी पटेल नगर नई दिल्ली	**संजीव शर्मा पुत्र सुभाष चंद शर्मा** डी–81, ब्लॉक–डी, यादव नगर समयपुर नई दिल्ली–110042	संपत्ति जो फ्लैट नं. ए–1/19/यूजी–2 एमआईजी फ्लैट, भूखंड सं. 19 ब्लॉक ए–1, डीएलएफ दिलशाद एक्स.–।। ग्राम भोपुरा, गाजियाबाद **60.38 वर्ग मीटर**	**रु. 11,64,913.15/– + उसके उपरांत ब्याज 31.03.2022 को**	क. रु. 21,00,000.00 ख. रु. 2, 10,000.00 ग. रु. 10,000/ घ. 07.09.2022	चालू खाता सं. 8312295000001 आईएफएससी कोडः CNRB0008312
6.	केनरा बैंक, पूर्वी पटेल नगर नई दिल्ली	**श्री राम कुमार मीणा** पुत्र श्री बतश्यराम मीणा मकान सं. 225, गली सं. 3ए, मॉडल बैंड, बदरपुर, नई दिल्ली–110044	63 वर्ग गज की भूमि एवं भवन जो खसरा सं. 2748, रेलवे लाइन, न्यू पटेल पार्क, बहादुरगढ़, हरियाणा में स्थित है	**रु. 37,17,962.68/– + उसके उपरांत ब्याज 31.03.2022 को**	क. रु. 5,50,000.00 ख. रु. 55,000.00 ग. रु. 10,000/ घ. 07.09.2022	चालू खाता सं. 8312295000001 आईएफएससी कोडः CNRB0008312

नीलामी की तिथि एवं समयः 07.09.2022 को 12.30 बजे से 1.30 बजे तक समापन से पूर्व अंतिम 5 मिनट में बोलीदान की स्थिति में स्वतः विस्तार उपवाक्य के साथ। धराज 05.09.2022 को अप. 4.00 बजे तक अथवा इससे पूर्व जमा की जानी चाहिए।

संपत्ति का निरीक्षण, प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व नियुक्ति प्राप्त कर 02.09.2022 को अप. 1.00 बजे से अप. 4.00 बजे के मध्य किया जा सकता है।

क्रमांक 1 हेतु : शाखा पंजाबी बाग–।। (011–25224456, 25226696, 8130949393), 2 से 6 हेतु : शाखा पूर्वी पटेल नगर (011–25727717, 9968657678) से कार्यालय समय के दौरान संपर्क किया जा सकता है।

विशेष अनुदेश

बोलीदाताओं को अपने हित में अंतिम मिनट/सेकंड में बोली लगाने से बचना चाहिए। ऐसे प्रसंगों में न तो केनरा बैंक और न ही सेवा प्रदाता, बोलीदाता या विक्रेता की ओर से होनेवाली किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता, बिजली की विफलता, इत्यादि) के लिए उत्तरदायी होंगे। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएं/विकल्प जैसे कि बैक–अप बिजली की आपूर्ति और जो कुछ भी आवश्यक हो वह सभी कुछ, बनाकर तैयार रखें ताकि वे ऐसी स्थिति से बचने में सक्षम हों और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

दिनांकः 16.08.2022, स्थानः नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक